

**मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट**

दिनांक:07.01.2023

थाना विन्ध्याचल पुलिस द्वारा हत्या करने की नियत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के अभियोग से सम्बन्धित 05 अभियुक्त गिरफ्तार —

थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 22.12.2022 को थाना विन्ध्याचल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अकोढी निवासी विजय मिश्रा द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक राय होकर जान से मारने की नियत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-224/2022 धारा 147/148/149/323/307 भा0द0वि0 बनाम बऊ आदि 08 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए यथाशीघ्र घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल को निर्देश दिए गये। उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक: 07.01.2023 को उ0नि0 रविकान्त मिश्रा चौकी प्रभारी गैपुरा मय पुलिस टीम द्वारा थाना विन्ध्याचल क्षेत्र से घटना से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों 1.बऊ सिंह उर्फ नागेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0अमर बहादुर सिंह, 2.अतुल सिंह उर्फ मृगेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र प्रताप सिंह, 3.नीतीश सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र कोमल सिंह, 4.नीरज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह व 5. मिन्टू सिंह उर्फ आशीष पुत्र विरेन्द्र प्रताप सिंह निवासीगण ग्राम अकोढी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत उक्त अभियोग में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

- 1.बऊ सिंह उर्फ नागेन्द्र प्रताप पुत्र स्व0अमर बहादुर सिंह निवासी अकोढी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 40 वर्ष।
- 2.अतुल सिंह उर्फ मृगेन्द्र प्रताप पुत्र सुरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी अकोढी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 30 वर्ष।
- 3.नीतीश सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र कोमल सिंह निवासी अकोढी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 24 वर्ष।
- 4.नीरज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी अकोढी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 32 वर्ष।
- 5.मिन्टू सिंह उर्फ आशीष सिंह पुत्र विरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी अकोढी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

(अभियुक्त बऊ सिंह उपरोक्त)

मु0अ0सं0 108/13 धारा 147/148/323/427/506 भा0द0वि0 थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

मु0अ0सं0 747/2016 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द,ध एससीएसटी एक्ट थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

(अभियुक्त मिन्टू सिंह उपरोक्त)

मु0अ0सं0 242/17 धारा 323/325/ 504/506 भा0द0वि0 थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0-224/2022 धारा 147/148/149/323/307 भा0द0वि0 थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

उ0नि0 रविकान्त मिश्रा चौकी प्रभारी गैपुरा थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मय पुलिस टीम।

